



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 04.11.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर 01 नफर अभियुक्त मखन सिंह पुत्र कुलवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त मखन सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी रननगर थाना तिकुनिया जनपद खीरी को एक अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 219/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी -

01 अदद अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मखन सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी ग्राम रननगर थाना तिकुनिया जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० राहुल यादव
2. का० गौरव कुमार

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त प्रियाशू पुत्र सुरेशचन्द को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 03.11.2023 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त प्रियाशू पुत्र सुरेशचन्द नि0ग्राम ममरी थाना हैदराबाद जनपद खीरी को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 453/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. प्रियाशू पुत्र सुरेशचन्द नि0ग्राम ममरी थाना हैदराबाद जनपद खीरी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 235/22 धारा 457/380/411 भा०द०वि० थाना हैदराबाद खीरी
2. मु०अ०सं० 256/22 धारा 457/380/411 भा०द०वि० थाना हैदराबाद खीरी
3. मु०अ०सं० 262/22 धारा 457/380/411 भा०द०वि० थाना हैदराबाद खीरी
4. मु०अ०सं० 283/22 धारा 457/380/411 भा०द०वि० थाना हैदराबाद खीरी
5. मु०अ०सं० 286/22 धारा 307 भा०द०वि० थाना हैदराबाद खीरी
6. मु०अ०सं० 377/22 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना हैदराबाद खीरी।
7. मु०अ०सं० 447/23 धारा 13 जुआ अधिनियम भा०द०वि० थाना हैदराबाद खीरी।
8. मु०अ०सं० 453/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हैदराबाद ,खीरी

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० लालचन्द थाना हैदराबाद ,खीरी।
2. हे०का० राजेन्द्र गंगवार थाना हैदराबाद खीरी।
3. हे०का० सुशील कुमार थानी हैदराबाद खीरी
4. का० श्रतुराज सिंह थाना हैदराबाद खीरी ।

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त मोनू पुत्र सुफियान उर्फ सुखनी को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.11.2023 को थाना खमरिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त मोनू पुत्र सुफियान उर्फ सुखनी निवासी ग्राम जेठरा थाना खमरिया जनपद खीरी को एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 268/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. मोनू पुत्र सुफियान उर्फ सुखनी निवासी ग्राम जेठरा थाना खमरिया जनपद खीरी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 009/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ईसानगर खीरी ।
2. मु०अ०सं० 525/2022 धारा 379 भादवि व 3/5क/8 गोवध निवारण अधि० थाना ईसानगर खीरी
3. मु०अ०सं० 268/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खमरिया जनपद खीरी ।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० श्री कृष्ण चन्द्र तिवारी थाना खमरिया जनपद खीरी ।
2. हे०का० विनोद गुप्ता थाना खमरिया जनपद खीरी ।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त विवेक रस्तोगी पुत्र अवधेश रस्तोगी को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.11.2023 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त विवेक रस्तोगी पुत्र अवधेश रस्तोगी नि० मो० कनौजिया कालोनी पिपरिया बाईपास थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 1079/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. विवेक रस्तोगी पुत्र अवधेश रस्तोगी नि० मो० कनौजिया कालोनी पिपरिया बाईपास थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० संचित यादव कोतवाली सदर
2. हे०का० शोभनाथ चौहान कोतवाली सदर
3. का०फरमान अहमद कोतवाली सदर
4. का० कुलदीप चौधरी कोतवाली सदर

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.11.2023 को थाना खमरिया पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण 1.रामबहादुर पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम ऐरा थाना खमरिया खीरी (वारंट वाद संख्या 1229/20 वसूली प्रा0पत्र) व 2. लक्ष्मी पुत्र सीताराम निवासी ग्राम चिकवनपुरवा मजरा समरदाहरि थाना खमरिया खीरी (वारंट वाद संख्या 159/95 धारा 25 आर्म्स एक्ट)को गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. रामबहादुर पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम ऐरा थाना खमरिया जनपद खीरी (वारंट वाद संख्या 1229/20 वसूली प्रा0पत्र)
2. लक्ष्मी पुत्र सीताराम निवासी ग्राम चिकवनपुरवा मजरा समरदाहरि थाना खमरिया जनपद खीरी (वारंट वाद संख्या 159/95 धारा 25 आर्म्स एक्ट)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद थाना खमरिया जनपद खीरी
- 2.उ0नि0 सुनील बाबू अवस्थी थाना खमरिया जनपद खीरी
- 3.हे0का0 अरूण कुमार कुशवाहा थाना खमरिया जनपद खीरी
- 4.हे0का0 आशीष वर्मा थाना खमरिया जनपद खीरी
- 5.का0 रोशन लाल थाना खमरिया जनपद खीरी

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त हारुन उर्फ बादशाह पुत्र बाबू को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.11.2023 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त हारुन उर्फ बादशाह पुत्र बाबू निवासी ग्राम छापाबोड़ी थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर को एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 421/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. हारुन उर्फ बादशाह पुत्र बाबू निवासी ग्राम छापाबोड़ी थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० हिमांशु आनन्द सिंह थाना मैलानी
2. का० सत्री दुहूण थाना मैलानी
3. का० इन्द्रेश थाना मैलानी
4. का० दीपक चन्द्रा थाना मैलानी
5. का० जाबिर थाना मैलानी

"यातायात माह नवम्बर 2023 के अन्तर्गत" जागरूकता अभियान का आयोजन



आज दिनांक 04.11.2023 को यातायात निदेशालय के निर्देशानुसार मनाये जा रहे यातायात माह नवम्बर 2023 के अन्तर्गत जनपद खीरी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चतुर्थ दिवस में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभारी यातायात खीरी के नेतृत्व में ट्रैफिक वालिन्टियर को साथ लेकर यातायात पुलिस जनपद खीरी द्वारा शहर के राजापुर चौराहे पर आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट अवश्य धारण करें। जीवन अनमोल है सुरक्षित चलें- सुरक्षित रहें स्लोगन के साथ यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। शहर के खीरी कस्बा स्थित सैक्रोसेन्ट पब्लिक स्कूल में प्रभारी यातायात खीरी द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ संगोष्ठी करते हुए बताया गया कि स्कूल जाते समय दौड़िये मत और न ही उतावलापन कीजिए। स्कूल पहुंचने के लिए घर से थोड़ा जल्दी चलिए फुटपाथ पर चलिए और अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क के किनारे बाएं पटरी पर चलिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी न चलें तथा तेज गति से वाहन कदापि न चलायें। सड़क पर मत खेलिए आप के लिए खतरनाक हो सकता है। सड़क पर चलते समय अपने बायें से चलें, सड़क पार करते समय पहले बायें देखें-फिर दायें, उसके बाद कदम आगे बढ़ायें। जेब्रा लाइन, स्टॉप लाइन का ध्यान रखिये यातायात संकेत मिलने पर ही आगे बढ़िये। उक्त कार्यक्रम के दौरान सैक्रोसेन्ट पब्लिक स्कूल खीरी कस्बा जनपद खीरी के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व विद्यालय के शिक्षकगणों के साथ लगभग 800 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

थाना उचौलिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त लाल मोहम्मद पुत्र सलमतुल्ला को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना उचौलिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त लाल मोहम्मद पुत्र सलमतुल्ला निवासी किरयारी थाना उचौलिया जनपद खीरी को एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 277/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही: विगत 24 घंटे में 188 लीटर अवैध शराब बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **188 लीटर अवैध कच्ची शराब व 02 शराब भट्टी** बरामद कर **11 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए।